

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।

पटना-15, दिनांक-21 नवम्बर, 2014

विषय:-राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत राज्य सरकार के कर्मियों की मृत्यु की सूचना संवर्ग नियंत्रि विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत राज्य सरकार के कर्मियों की मृत्यु होने पर मृत्युपरांत सेवान्त लाभों का भुगतान उनके पदस्थापन के विभागों द्वारा किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उन कर्मियों के संवर्ग नियंत्रि विभाग को उनकी मृत्यु की सूचना समय पर प्राप्त नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप उन कर्मियों के मृत्यु के उपरांत भी सेवा में मानते हुए उनके सेवा से संबंधित संगत कार्रवाई यथा-स्थानांतरण, पदस्थापन, वरीयता सूची में सम्मिलित रखा जाना इत्यादि की संभावना बनी रहती है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में अनुरोध है कि आपके विभाग/कार्यालय में पदस्थापित एवं कार्यरत राज्य सरकार के कर्मियों की मृत्यु होने पर उसकी सूचना कर्मियों की मृत्यु के एक सप्ताह के अन्दर उनके संवर्ग नियंत्रि विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।